

2018/00189

P.L.M.S.
A

98/18
24.5.18

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प बराबर

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जेठम व भूअ.नि. चौक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जेठम/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खीचडा तहसील चौहटन जिला की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 22 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	खीचडा की हाती	22	खिलमा राम पुत्र किशन राम	खिलमा राम पुत्र किशन राम



(2018)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, चौहटन
दिनांक :- 24.5.18

क्रमांक

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार जेठम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री खिलमा राम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

खिलमा राम
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
चौहटन